पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2025 का दीवानी रिट याचिका क्षेत्राधिकार मामला संख्या 962

==========

शंभू सिंह उर्फ़ शंभू नारायण सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राजदेव सिंह, निवासी गाँव-चैता, थाना - पकरी दयाल, जिला -पूर्वी।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार।
2. समाहर्ता पूर्वी चंपारण।
3. अपर समाहर्ता, (राजस्व), पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
4. उप-समाहर्ता भूमि सुधार, पकरी दयाल, जिला-पूर्वी चंपारण।
5. अंचलाधिकारी, पकरी दयाल, पूर्वी चंपारण।

..... प्रत्यर्थी/गण

==========

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री आसिफ कलीम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सरकारी अधिवक्ता (11)

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- *म्यूटेशन अधिनियम 2011 की धारा 9*
- *बिहार काश्तकारी अधिनियम, 2012 की धारा 9*

संदर्भित मामले:

- *सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16269/2024 (राम नरेश रॉय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य)*

- *सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3336/2024 (कुमार नवलेश @ कुमार नवलेश रॉय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य)*
- *सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 19368/2021 (रीना देवी बनाम बिहार राज्य)*

रिट याचिका - याचिकाकर्ता के नाम पर चल रही जमाबंदी को रद्द करने संबंधी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने और जमाबंदी रद्दीकरण मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु दायर की गई।

निर्णय- बिहार टेनंसी अधिनियम, 2012 की धारा 9 स्पष्ट रूप से कहती है कि अतिरिक्त कलेक्टर को स्वतः संज्ञान या किसी आवेदन पर, किसी भी अवैध रूप से सृजित जमाबंदी की जांच करने का अधिकार है, यदि वह किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन करके या इस संबंध में जारी कार्यकारी निर्देशों के विरुद्ध बनाई गई हो। इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट हुआ कि नोटिस में इन दोनों पहलुओं का अभाव है। अतः याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द किया जाता है। (पैराग्राफ 6)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

28-01-2025

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई हैः

"(ए). अतिरिक्त समाहर्ता पूर्वी चंपारण के कार्यालय से याचिकाकर्ता को दिनांक 05.09.2024 को जमाबंदी

रद्दीकरण 42/2024-25 (अस्थायी फाइलिंग नं. 17417 दिनांक 05.09.2024) के संबंध में जारी नोटिस को रद्द करने हेतु एक उपयुक्त रिट जारी करने जिसमें उससे कारण बताने के लिए कहा गया है कि उनके नाम पर चल रही जमाबंदी, यानी कि जमाबंदी सखंख्या -.324, जो कि मौज़ा चोरमा, थाना संख्या-142, खाता संख्या-105, खेसरा नं. 09 से संबंधित भूमि के समबंध में है, को क्यों रद्द नहीं किया जाए।

(ख) अपर समाहर्ता, पूर्वी चंपारण के समक्ष लंबित जामबंदी रद्द करने के मामले नं. 42/2024-25 (अस्थायी फाइलिंग नं. 17417 दिनांक 05.09.2024) की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक उचित आदेश जारी करने हेतु।

(ग) किसी भी अन्य राहत और राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता इस माननीय उच्च न्यायालय की राय मे हकदार हो।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने समर्पित किया कि भूमि, जो वर्तमान मामले की विषय वस्तु है, जैसा कि अक्षेपित सूचना में उल्लेख किया गया है, अर्थात, खाता संख्या -.105, प्लॉट नंबर 9, क्षेत्र 70 बीघा 2 कथा 4 धुर, जो ज़ीरत मलिक और ठीकेदार के नाम पर दर्ज है और भूमि की प्रकृति को भित के रूप में दिखाया गया था। जहाँ तक खतियान की बात है, यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि का मलिक सिराहा कोठी हुआ करता था और यही बात खेवात संख्या 2 में दर्ज की गई थी। तदनुसार, भूमि अभिलिखित मलिक के व्यक्तिगत कब्जे में थी और भूमि पर

उनका पूरा नियंत्रण है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जमाबंदी को रद्द करने के लिए धारा 9 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अधिवक्ता ने निवेदन करता है कि उसी भूखंड के लिए जिसमें कुल 11 व्यक्तियों को सूचना जारी किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता क्रम संख्या 4 ने वर्तमान याचिका दायर की है जबकि एक ही नोटिस के दो व्यक्तियों सुस्मा सिंह और डॉ. उमेश चंद्र सिंह ने 2024 के रिट याचिका संख्या -.18863 वाली रिट याचिका दायर की है, जिसमें जामबंदी को रद्द करने के लिए धारा 9 के तहत अतिरिक्त समाहर्ता द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई है और चूंकि इस आधार पर नोटिस में धारा 9 के अवयवों की कमी थी, इसलिए उक्त नोटिस को याचिकाकर्ता के संबंध मे रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने समर्पित किया कि याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 4 में है और दोनों मामलों के तथ्य और परिस्थितियाँ बिल्कुल समान हैं। इसलिए, वर्तमान मामला 2024 के रिट याचिका संख्या-18863 में पारित दिनांकित 10.12.2024 के निर्णय से पूरी तरह से शामिल है।

4. राज्य के लिए विद्वान अदधिवक्ता समर्पित करते हैं कि यह अभिवचन से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों में से एक है जिन्हें जमाबंदी रद्द करने के मामले में नोटिस दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे समर्पित करते हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला 2024 के रिट याचिका संख्या 18863 के मामले के समान है। वह निवेदन करते है कि इस परिस्थिति में उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

5. पक्षकारों को सुनने और अभिवचन के परिशीलन से इस न्यायालय को यह स्पष्ट है कि म्यूटैशन अधिनियम 2011 की धारा 9 में ऐसे निर्णयों की श्रृंखला है जो इस न्यायालय द्वारा संलग्न, अर्थात, **2024 का रिट याचिका संख्या 16269 (राम**

नरेश रॉय और अन्य बनाम बिहार राज्य) 2024 के 24.10.2024, **रिट याचिका संख्या 3336 (कुमार नवलश उर्फ़ कुमार नवलश रॉय और अन्य बनाम। बिहार राज्य) वर्ष 2021** के 28.02.202 **एवं रिट याचिका संख्या 19368 (रीना देवी बनाम बिहार राज्य)** के 11.01.2024 के निर्णय तथा इन निर्णयों का संचालन भाग इस प्रकार हैः

2024 का रिट याचिका संख्या 16269 (राम नरेश रॉय और अन्य बनाम बिहार राज्य)।

"7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय का, प्रथम दृष्टया, यह विचार है कि नोटिस उस कारण को दर्ज किए बिना जारी किया गया है जिसके आधार पर जामबंदी रद्द करने का मामला शुरू किया गया है क्योंकि नोटिस में यह दर्ज नहीं है कि किस कानून या कार्यकारी निर्देश का उल्लंघन किया गया था जब शुरू में जामबंदी बनाई गई थी, इसलिए सूचना अस्पष्ट प्रतीत होता है। तदनुसार, ए. डी. एम., दरभंगा द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 698 दिनांक 29.08.2024 में निहित जमाबंदी रद्द करने के मामले संख्या 173 के संबंध में उनके समक्ष पेश होने की सूचना को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

2024 का रिट याचिका संख्या 3336 (कुमार नवलेश उर्फ़ कुमार नवलेश रॉय और अन्य बनाम बिहार राज्य)।

"10. अक्षेपित सूचना के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जामबंदी रद्द करने की कार्यवाही का

*कोई आधार नहीं बताया गया है की क्यों शुरू की गई है। यह निर्धारित कानून है कि एक वैकल्पिक राहत के होते हुए भी इस न्यायालय के द्वारा रिट आवेदन पर विचार करने मे कोई बाधा नहीं है। यदि कोई आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इस न्यायालय को सूचना जारी करने के चरण में ही हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा यह गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय के द्वारा (**वर्लपूल कॉरपोरेशन बनाम ट्रेड मार्क रजिस्ट्रार मुम्बई और अन्य)** में दिए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट **(1998) 8 एस. सी. सी.** में दर्ज की गई है।*

11. इस न्यायालय की राय में, अतिरिक्त समाहर्ता की जामबंदी को रद्द करने के लिए अधिनियम, 2011 की धारा 9 के तहत सूचना मे विशिष्ट प्रथम दृष्टया राय का खुलासा करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बनाई गई जामबंदी किसी कानून का उल्लंघन है या किसी भी कार्यकारी निर्देश का उल्लंघन है। सूचना स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं देता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में जामबंदी बनाते समय किस कानून का उल्लंघन किया गया है और

किस निर्देश का उल्लंघन किया गया है। सूचना पूरी तरह से अस्पष्ट, गुप्त है और उस आधार का खुलासा नहीं करता है, जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जामबंदी को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बिहार भूमि परिवर्तन अधिनियम, 2011 की धारा 9 (1) में निहित प्रावधान के अनुरूप जारी किया गया है और इसलिए इसे दरकिनार किया जाना चाहिए तदनुसार इसे दरकिनार किया जाता है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पटना के अतिरिक्त समाहर्ता को याचिकाकर्ता को एक नया कारण बताओ सूचना, उन सामग्रियों जो उनके लिए यह राय बनाने का आधार हैं कि याचिकाकर्ता के नाम पर बनाई गई जामबंदी को रद्द किया जाना चाहिए का खुलासा करते हुए जारी करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह की सूचना आज से दो महीनों के अंदर आवासीय जारी होनी चाहिए। अतिरिक्त समाहर्ता, पटना इस मामले मे कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

13. रिट याचिका की अनुमति उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ दी जाती है। "

8. अतिरिक्त समाहर्ता, लखीसराय द्वारा जारी किए गए उक्त असपस्ट सूचना जो भूमि के विवरण से रहित है, जिस तथ्य को राज्य के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है, यह न्यायालय भी उसी मार्ग का अनुसरण करता है जैसा कि रीना देवी (उपरोक्त) के मामले में निर्णय लिया गया था।

9. अतिरिक्त समाहर्ता लखीसराय द्वारा दिनांक 12.01.2024 (रिट याचिका का अनुलग्नक-P/1) पर जारी जामबंदी रद्दीकरण संख्या 140/2023-24 में जारी किया गया नोटिस रद्द कर दिया गया है।"

2021 का रिट याचिका संख्या 19368 (रीना देवी बनाम बिहार राज्य):

"11. इस न्यायालय की राय में, जामबंदी को रद्द करने के लिए अधिनियम, 2011 की धारा 9 के तहत एक सूचना को अतिरिक्त समाहर्ता की विशिष्ट प्रथम दृष्टया राय का खुलासा करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बनाई गई जामबंदी किसी भी कानून का उल्लंघन है या किसी भी कार्यकारी निर्देश का उल्लंघन है। नोटिस स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं देता है की कौन से कानून का उल्लंघन है या

याचिकाकर्ता के पक्ष में जामबंदी बनाते समय किस निर्देश का उल्लंघन किया गया है। सूचना पूरी तरह से अस्पष्ट, अप्रकट है और उस आधार का खुलासा नहीं करता है, जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जामबंदी को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बिहार भूमि परिवर्तन अधिनियम, 2011 की धारा 9 (1) में निहित प्रावधान के अनुरूप जारी किया गया है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और तदनुसार दरकिनार किया जाता है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पटना के अतिरिक्त समाहर्ता को याचिकाकर्ता को एक नया कारण बताओ सूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उन सामग्रियों का खुलासा किया जाता है, जो उनके लिए यह राय बनाने का आधार हैं कि याचिकाकर्ता के नाम पर बनाई गई जामबंदी को रद्द किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना आज से दो महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए। पटना के अतिरिक्त समाहर्ता कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ेंगे।

2024 का रिट याचिका संख्या 18863 (उमेश चंदर सिंह और एक अन्य बनाम बिहार राज्यः

"8. कारण दर्शाओ सूचना में, जो चुनौती के तहत है, कोई आधार नहीं दिया गया है। 05.09.2024 दिनांकित सूचना नीचे उद्धृत की गई हैः

"न्यायालय अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अस्थायी भरण संख्या-17417 दिनांक 05-09-2024

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-42/24-25

सरकार द्वारा अंचलाधिकारी, पकड़ीदयाल बनाम सुषमा सिंह एवं दस अन्य।

नोटिस बनाम.....

1. सुषमा सिंह, पति, डा० उमेश चन्द्र सिंह,

2. डा. उमेश चन्द्र सिंह, पिता ब्रज किशोर सिंह,

3. डा० उमेश चन्द्र सिंह, पिता ब्रज किशोर सिंह,

4. शम्भु नारायण सिंह, पिता राजदेव सिंह,

5. सुरज पासवान, पिता-लोरिक पासवान,

6. केशव कुमार सिंह, पिता- रामनरेश सिंह,

7. रघुवंश राय, पिता बंती राय

8. मु० मीना कुंवर, पति- स्व० धुप नारायण सिंह,

9. केशव कुमार सिंह, पिता- रामनरेश सिंह,

10. केशव कुमार सिंह, पिता- रामनरेश सिंह,

10. मदन मोहन सिंह, पिता- रामनरेश सिंह,

सभी ग्राम-चैता, थाना-पकड़ीदयाल।

इस नोटिस के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि अंचलाधिकारी, पकड़ीदयाल के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव सं०-03/24-25 समर्पित किया गया है, जिसमें मौजा-चोरमा, थाना नं0-142 अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय हेतु चिन्हित जिरात मालिक कोठी की भूमि खाता सं0-105, खेसरा सं०-09 की विभिन्न रकबा के निमित संचालित जमाबंदी सं0-2639, 2640, 2653, 324, 1494, 2241, 2275, 1526, 1527, 1540 एवं 1541 को रंद करने की अनुशंसा की गई है, जिसे सुनवाई हेतु ग्रहण कर ली गई है एवं सुनवाई हेतु अगली तिथि 12.09.2024 को निर्धारित की गई है।

अतः आपसभी को आदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 12.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित बयान के साथ कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आपसभी के नाम संचालित जमाबंदी सं0- 2639, 2640, 2653, 324, 1494, 2241, 2275, 1526, 1527, 1540 एवं 1541 को रद्द कर दिया जाय।

इसे सख्त ताकिद जाने।

आज तारिख 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

ह०/-

अपर समाहर्ता

-सह-

अपर जिला दण्डाधिकारी

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।"

9. अक्षेपित सूचना के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जामबंदी रद्द करने की कार्यवाही क्यों शुरू की गई है, इसका कोई आधार नहीं बताया गया है। यह निर्धारित कानून है कि एक वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व इस न्यायालय के लिए एक रिट आवेदन पर विचार करने के लिए बाधा नहीं है। यदि कोई आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इस न्यायालय को सूचना जारी करने के चरण में ही हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा यह गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इस संबंध में, ***(1998) 8 एस.सी.सी. 1 (व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स मुंबई और अन्य)*** *में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।*

10. सूचना के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि जारी किए गए सूचना में अतिरिक्त समाहर्ता की प्रथम दृष्टया राय दिखाई दी है। उक्त नोटिस में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जामबंदी करते समय किस कानून का उल्लंघन किया गया है और किस निर्देश का उल्लंघन किया गया है। उक्त नोटिस किसी विशिष्ट राय को प्रतिबिंबित नहीं करता है और यह अस्पष्ट, गूढ़ है और यह उस आधार को प्रकट नहीं करता है जिस पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जामबंदी को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बिहार भूमि उत्परिवर्तन अधिनियम, 2011 की धारा 9 (1) में निहित प्रावधान के अनुरूप जारी किया गया है और इसलिए इसे दरकिनार किया जा सकता है।

11. तदनुसार, अतिरिक्त समाहर्ता -सह-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक 05.09.2024 (रिट याचिका का अनुलग्नक-9) द्वारा जारी जामबंदी रद्द करने के मामले संख्या 42/24-25

में जारी किया गया नोटिस रद्द किया जाता है।"

6. प्रस्तुतियों के आलोक में, यह इस न्यायालय को सूचित करता है कि बिहार टेनेसी अधिनियम, 2012 की धारा 9 मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपर समाहर्ता को या तो स्वतः या किसी आवेदन पर किसी भी जामबंदी के संबंध में जांच करने की शक्ति होगी जो उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन करते हुए या इस संबंध में जारी किसी भी कार्यकारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए बनाई गई है। यह इस न्यायालय को सपस्ट करता है कि नोटिस में दोनों ही कमी है और इसलिए, याचिकाकर्ता को जारी किए गए सूचना को रद्द कर दिया जाता है।

7. तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

एमकेआर./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।